राजस्थान सरकार

कार्यालय उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद जोधपुर

क्रमांक / उनिकृ / लेखा / निविदा / 2016–17 / 4055-61 दिनांक 5/10/16

खुली निविदा सूचना संख्या 07 / 16–17

इस कार्यालय द्वारा सचालित विभिन्न कृषि योजनाअर्न्गत ग्राम स्तर पर आयोजित प्रशिक्षणो मे चाय नाश्ता जलपान एव भोजन उपलब्ध एव सप्लाई हेतु जोधपुर जिले मे वर्ष 2016–17 मे निम्ननानुसार मद की वस्तुए जब आवश्यकता हो के आधार पर सप्लाई करने के लिए वार्षिक पर अनुबंध हेतु पजिकृत /अधिकृत फर्मो /व्यक्तियो से सीलबंद निविदाए आमन्त्रित की जाती है ।

क्र. सं.	निविदा का नाम कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (लाखो में)	बयाना राशि (हजारो में)	निविदा शुल्क (अप्रतिदेय)	निविदा प्रस्तुत करने एवम खोलने की तिथि एव समय
1	प्रशिक्षण मे चाय नाश्ता जलपान भोजन की व्यवस्था	18.00 लाख	36000	500	दिनांक 21/10/16 को 2.00 बजे तक प्राप्त कर 3.00 बजे खोली जावेगी ।

उपरोक्तानुसार भोजन उपलब्ध एव सप्लाई की इच्छुक व्यक्ति / फर्मे निविदा शुल्क 500 अक्षरे पांच सौ मात्र कार्यालय मे जमा करवा कर या उक्त राशि का डी.डी. उप निदेशक कृषि (वि)जिला परिषद जोधपुर के नाम से देय हो प्रस्तुत कर निविदा फार्म कार्यालय समय मे दिनांक 20/10/16 तक प्राप्त कर सकते है । निविदा की विस्तृत शर्ते http://sppp.raj.gov.in व विभागीय वेबसाईट www.krishi.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है

(विरेन्द्रसिंह सोलंकी)
उप निदेशक कृषि (वि)
जिला परिषद जोधपुर

क्रमांक / उनिकृ / लेखा / निविदा / 2016–16 / 4055-61 दिनांक 5/10/16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. श्रीमान वित्तीय सलाहाकार कृषि आयुक्तालय जयपुर ।
2. श्रीमान सयुक्त निदेशक कृषि खण्ड जोधपुर ।
3. श्रीमान एनलिस्ट कम प्रोगामर, कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागीय साईट www.krishi.rajasthan.gov.in पर उक्त निविदा अपलोड करावे ।
4. नोटिस बोर्ड कार्यलय हाजा ।
5. लेखा शाखा /भंडार पाल कार्यलय हाजा ।

(विरेन्द्रसिंह सोलंकी)
उप निदेशक कृषि (वि)
जिला परिषद जोधपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद जोधपुर

निविदा फार्म शुल्क –500

नकद / बैकर चैक / डीडी संख्या . . . .

दिनांक. . . . .

जारी दिनांक . . . .

निविदा प्रारूप

1	कार्यालय का नाम	उप निदेशक कृषि (वि) जिला परिषद जोधपुर ।
2	निविदा सूचना संख्या	कमांक / उनिकृ / लेखा / निविदा / 2016–17 / 4055–61दिनांक 5.10.16
3	अमानत राशि	राशि 36000 / – बैकर चैक / डीडी नं............................... दिनांक .... सलग्न आवश्यक है ।
4	निविदा प्रस्तुत करने वाली का नाम व पूर्ण पता	निविदा दाता / व्यक्ति / फर्म का नाम .... टेलीफोन नं. ....मोबाईल नं.................................. ..
5	निविदा प्राप्त करने एव खोलने की दिनांक व समय	दिनांक 21/10/16 को 2.00 तक प्राप्त की जाकर 3.00 बजे खोली जावेगी ।
6	सलग्न दस्तावेज	पैन कार्ड की फोटो प्रति सलग्न है / नही टीन नम्बर की फोटो प्रति सलग्न है / नही सेवा कर नम्बर की फोटो प्रति सलग्न है / नही फूड लाईसेस की फोटो प्रति सलग्न है / नही श्रम विभाग से रजिस्ट्रेशन की फोटो प्रति सलग्न है / नही
7	अनुबंध अवधि	वित्तीय वर्ष 2016–17 मे जब आवश्यकता होने के आधार पर दिनांक 31.3.2017 तक
8	कार्य का विवरण	वर्ष 2016–17 जब आवश्यकता हो के आधार पर जिले मे संचालित विभिन्न कृषि योजना अन्तर्गत आयोजित प्रशिक्षणो में चाय नाश्ता भोजन आपूर्ति उपलब्ध की व्यवस्था .करना
9	प्रस्तावित दर	प्रस्तावित दरे रूपये समस्त कर सहित प्रति व्यक्ति फुल डाईट (भरपेट भोजन)

	कार्य का विवरण	जिला मुख्यालय एव ग्राम पचायत प्रशिक्षण स्थल पर दरे
1	भरपेट भोजन (फुलडाईट) प्रति व्यक्ति (1) गेहू की रोटी शुद्व देशी घी से चुपडी हुई , दो शब्जी (एक मौसम के अनुसार) , सलाद, अचार,,पापड मिठाई पीस दो (अनुमानित वजन 80–से 100 ग्राम) (शब्जिया शुद्व मुगफली के तेल मे) (2) सुबह चाय (100एमएल)प्रति कप एव पांच बिस्किट नग उच्च क्वालिटी के नाश्ते मे (3) सांय चाय (100एमएल)प्रति कप	दर प्रति व्यक्ति अंको एव शब्दो मे

मैने / हमने उप निदेशक कृषि (वि) जिला परिषद जोधपुर द्वारा गठित उपापन समिति द्वारा जारी की गई बोली की समस्त शर्तो को अच्छी तरह से पढ व समझ लिया है तथा मुझे / हमे बोली की समस्त शर्ते मंजूर है व उनके सभी पृष्ठो पर उल्लेखित शर्तो .को मेरे / हमारे द्वारा स्वीकार किया जाता है।

निविदादाता / बोलीदाता के हस्ताक्षर

उप निदेशक कृषि (वि.)
जिला परिषद, जोधपुर
कोष कोड सं. 472

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद जोधपुर

निविदा की शर्ते

कार्यालय द्वारा वर्ष 2016–2017 मे विभागीय योजनान्तर्गत आयोजित प्रशिक्षणो मे कृषको को चाय, नाश्ता, जलपान, भोजन उपलब्ध उपलब्ध कराने हेतु निविदा संख्या 7/2016–17 की शर्ते निम्नानुसार है। –निविदादाता को निविदा फार्म भरने से पूर्व निम्न शर्तो को ध्यान पूर्वक पढे एवं प्रत्येक पृष्ठो पर अपने हस्ताक्षर कर निविदा के साथ सलग्न करे ।

1. इच्छुक निविदादाता को निविदा मे दिये गये निदेर्शो के अनुसार उचित रूप से मुहरबंद लिफाफे मे जिस पर "प्रशिक्षण में भोजन,चाय,नाश्ता हेतु निविदा " लिखकर ही प्रस्तुत करे । निविदा खुली होने पर स्वीकार नही की जावेगी ।
2. निविदा के साथ (पैन नम्बर , टीन नम्बर, सेवा कर पंजियन प्रमाण पत्र, फूड लाइसेस प्रमाण पत्र, श्रम विभाग का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र यह समस्त दस्तावेज सलग्न होना आवश्यक है इसके अभाव मे निविदा स्वीकार नही की जावेगी । वाणिज्य कर विभाग का पंजीयन भोजन बनाने के कार्य का होना चाहिए ।
3. निविदा मे किसी भी प्रकार की कांट छाट नही करे ऐसी निविदा स्वीकार नही की जावेगी ।किसी भी निविदा को अस्वीकार करने के अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के पास सुरक्षित है ।
4. प्रस्तुत दरे समस्त कर सहित प्रस्तुत करे जिसमे समस्त प्रकार के कर समलित हो ।
5. दरे समस्त कर सहित प्रस्तुत करे । किसी भी प्रकार की शर्ते सलग्न नही करे सर्शत निविदा स्वीकार नही की जावेगी ।
6. इस वर्ष से लागू पंजीयन एव मुद्रांक विभाग द्वारा निर्धारित पंजियन शुल्क जो निविदा की राशि पर देय है का भुगतान निविदादाता को चुकाना होगा ।
7. निर्धारित बयाना राशि 36000 का डीडी/बैकर चैक सलग्न नही होने पर निविदा स्वीकार नही की जावेगी ।निविदा स्वीकार होने के पश्चात सात दिवस के भितर या जो दिनांक निर्धारित कि जावे तक निर्धारित करार एव धरोहर राशि 90000 दोनो प्रस्तुत नही करने पर प्राप्त बयाना राशि जब्त कर ली जावेगी ।
8. निविदा स्वीकार होने के पश्चात निर्धारित सात दिवस या जो समय निर्धारित किया जावे के नियमानुसार पांच प्रतिशित की दर से राशि 90000 अक्षरे नब्बे हजार जमा करानी होगी जो कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होने पर एव फर्म द्वारा समस्त बकाया कर (वैट एव सेवा कर) आदि जमा के चालान प्रस्तुत करने पर एव कोई राशि बकाया नही होने के पश्चात कार्यालय द्वारा पूर्ण संतुष्ट होने पर लौटाई जावेगी । निविदा स्वीकार होने के पश्चात नियमानुसार 500 रूपये के नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पर करार कर नोटेरी द्वारा नोटरी करवा कर प्रस्तुत करना होगा इसके प्रस्तुत. करने के पश्चात ही कार्य आदेश जारी किया जावेगा । इस पर व्यय समस्त खर्चे का भुगतान निविदादाता का होगा । कार्यालय द्वारा कोई भुगतान नही किया जावेगा ।
9. नियमानुसार देय भुगतान मे से नियमानुसार आयकर की कटौती की जावेगी ।
10. आयकर के अलावा देय समस्त कर लागू होने या नही होने की स्थिति मे भुगतान निविदादाता को ही करना होगा । जिसमे देय नियमानुसार वैट का भुगतान एव सेवा कर का भुगतान निविदादाता को ही करना होगा विभाग द्वारा इसका भुगतान नही किया जावेगा ।
11. निविदादाता को भुगतान करने से पूर्व भुगतान पर देय वैट की राशि एव देय सेवा कर की राशि संबंधित विभाग मे जमा करा कर चालान प्रति प्रस्तुत करनी होगी उसके पश्चात ही देय भुगतान निविदादाता को किया जावेगा । आप द्वारा देय वैट राशि एव सेवा कर राशि जमा नही कराने पर एव बकाया राशि होने पर नियमानुसार जमा धरोहर राशि मे से काटी जाकर संबंधित विभाग मे जमा करायी जावेगी । जिसके लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा ।
12. निविदादाता भोजन व्यवस्था के अधिकृत एव अनुभवी फर्मो /व्यक्तियो द्वारा प्रस्तुत की जावे ।

उप निदेशक कृषि (वि.)
जिला परिषद, जोधपुर
कोष कोड सं. 472

13. ग्राम स्तर पर कलस्टर स्थापित किये गये है जिसमे प्रति कलस्टर 50 कृषको हेतु भोजन उपलब्ध कराना है । प्रशिक्षण कार्यक्रम एक दिन मे एक से अधिक स्थान पर एक ही दिन होगे अत समस्त जगह निर्धारित स्थान एव समय पर भोजन चाय नाश्ता उपलब्ध कराना होगा । कलस्टर की संख्या मे वृद्वी होने पर उस स्थान पर भी उपरोक्तानुसार भोजन उपलब्ध कराना होगा ।
14. निविदादाता को जिले मे ग्राम स्तर एव पंचायत स्तर पर तथा जिले स्तर पर आयोजित प्रशिक्षणो मे तय दिनांक एव समय पर भोजन सप्लाई एव उपलब्ध कराना होगा । प्रशिक्षण स्थल एव दिनांक समय एव स्थान से आपको अवगत कराया जावेगा ।
15. ग्राम स्तर पर भोजन पहुचाने का समस्त व्यय तथा वाहन आदि का खर्च निविदादाता का होगा ।
16. खाना उच्च गुणवता शुद्व देशी घी में निर्मित चुपडी चपाती एव शब्जीया शुद्व मुगफली के तेल मे बनी हुई होनी चाहिए ।
17. खाना पकाने एव खाना खिलाने हेतु समस्त प्रकार के बर्तन एव अन्य सामग्री की व्यवस्था निविदादाता को स्वय के स्तर पर करनी होगी । इसके लिए किसी भी प्रकार का अतिरिक्त राशि का भुगतान नही किया जावेगा ।
18. निविदादाता को निविदा से समस्त पृष्ठो पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है तथा शर्तो एव समझौते पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर आवश्यक है । इसके अभाव मे निविदा स्वीकार नही की जावेगी ।
19. निविदादाता के भुगतान की कुल राशि मे से नियामानुसार आयकर की कटौती व अन्य आवश्यक करो की कटौती की जावेगी । तथा भोजन पर देय वाणिज्य कर विभाग को टैक्स एव सेवा कर आदि का समस्त भुगतान का दायित्व निविदादाता का होगा । निविदादाता को ही जमा करा कर रसीद/चालान कार्यालय मे प्रस्तत करनी होगी । इस कार्यालय द्वारा अतिरिक्त किसी कर का भुगतान नही किया जावेगा ।
20. निविदादाता को अपनी दरे अंको एव शब्दो में साफ–साफ लिखा हुआ अंकित होना चाहिए इनमे कोई त्रुटियया/अपरिलेखन /अशुद्विया/कांट–छांट नही होनी चाहिए ।
21. निविदादाता को इस हेतु कोई अग्रिम राशि का भुगतान नही किया जावेगा ।
22. प्रस्तुत दरे वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए दिनांक 31.3.2017 तक के लिए ही मान्य होगी इस अवधि को आपसी सहमति से ही बढाया जा सकेगा ।
23. निविदादाता को चाय,नाश्ता,भोजन आदि की आपूर्ति स्वय के खर्चे पर वांछित प्रशिक्षण स्थलो पर करनी होगी।
24. निविदादाता को चाय नाश्ता भोजन निर्माण में उच्च क्वालिटी की सामग्री बनाने मे प्रयुक्त करनी होगी ।
25. निविदादाता अपनी निविदा/संविदा को या उसके किसी भाग को किसी अन्य एंजेन्सी को नही सौंपेगा या उसे भाडे पर नही देगा ।
26. निविदादाता द्वारा निर्धारित स्पेशिफिकेशन अनुसार भोजन नही होने पर उसका भुगतान नही किया जावेगा तथा उस समय पर खर्च हुए अतिरिक्त व्यय के समस्त भुगतान की कटौती निविदादाता को देय भुगतान मे से कटौती कि जावेगी । निर्धारित स्पेशिफ्किेशन मे कोई आईटम की कमी होने पर नियमानुसार कटौती की जावेगी ।
27. सप्लाई भोजन की उच्च अधिकारियो द्वारा आकस्मिक जांच की जावेगी जिसमे किसी प्रकार की कमी होने पर नियमानुसार कटौती की जावेगी ।
28. निम्न गुणवता के कारण उत्पन्न समस्त परिणामो/परिस्थितियो हेतु निविदादाता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।
29. प्रशिक्षण स्थल पर उच्च अधिकारीयो एव संबंधित अधिकारी प्रभारी द्वारा भोजन की जांच की जावेगी भोजन एव भोजन सामग्री की गुणवत्ता सही नही पाये जाने पर नियमानुसार कटौति की जावेगी ।
30. भोजन की गुणवता पर शिकायत या संशय होने की स्थिति में प्रभारी द्वारा जांच की जावेगी एवं सिफारिश अनुसार कटोती की जावेगी।
31. निर्धारित समय/अवधि मे कार्य सम्पादित नही करने पर उस समय की गई चाय नाश्ता भोजन की व्यवस्था की पूर्ण भुगतान राशि की वसूली निविदा दाता से की जावेगी एवं नियमानुसार शास्ती आरोपित की जावेगी एवं हानियो की वसूली की जावेगी।
32. निविदा फार्म कार्यालय से कार्यदिवस मे प्राप्त किये जा सकते है । ।
33. विलम्ब से प्राप्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी ।
34. निविदा मे दर्शाये गये कार्य की मात्रा घटाई/बढाई जा सकती है ।
35. निर्धारित अवधि मे धरोहर राशि जमा नही कराने पर जमा बयाना राशि जब्त कर ली जावेगी ।

उप निदेशक कृषि (वि.)
जिला परिषद, जोधपुर
कोष कोड सं. 472

36. संविदा की शर्तो का उल्लगन करने, कार्य संतोषप्रद नही होने तथा निविदा में सफल होने के उपरान्त भी कार्य नही करने की स्थिति में तथा करार नही करने की स्थिति मे बयाना राशि /धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी ।
37. करार पत्र को पूर्ण करने एव उस पर व्यय आदि का भुगतान निविदादाता द्वारा वहन किया जावेगा ।
38. उपरोक्त के अलावा अन्य शर्ते राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एव लेखा नियम के अनुसार लागू होगी जिसका पालन करना होगा ।
39. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकृत/निरस्त करने व निविदा शर्तो मे संशोधन का अधिकार कय समिति के पास सुरक्षित होगा ।

उपरोक्त कम संख्या 1से 39 तक की शर्ते मुझे/हमे स्वीकार है जिसके सहमति स्वरूप निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है ।

निविदादाता/बोलीदाता के हस्ताक्षर

उप निदेशक कृषि (वि.)
जिला परिषद, जोधपुर
कोष कोड सं. 472